बेरडो का बास निर्णय दिनॉक शुन्य ।

उपस्थिति :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी

रेस्पोडेट सख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री रूगाराम चौधरी

रेस्पोडेट सख्या 02 अनुपस्थित

निर्णय

दिनॉक 7/12/2020

अपीलाण्ट की ओर से उक्त अपील इस आशय की पेश की गई कि ग्राम बेरडो का बास के खसरा सख्या 203 रकबा 12 बीघा, खसरा सख्या 205 रकबा 56 बीघा 18 बिश्वा, सयुक्त खातेदारी में 1/3 हिस्सा भूमि में भोमा, खेराज, हरदान पिता उदा के नाम राजस्व रेकर्ड में वक्त सेन्टलमेन्ट से दर्ज थी स्व श्री खेराज का फौतेदगी का

Scanned with CamScanner

म्यूटेशन सख्या 233 ग्राम पंचायत बेरडो का बास द्वारा दर्ज करते वक्त स्व श्री खेराजराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलाण्टगण का नाम दर्ज नही कर रेस्पोडेट सख्या 01 के दादा परमानन्द के नाम दर्ज कर दिया गया । स्व श्री परमानन्द पुत्र खेराजराम के देहान्त के पश्चात उपरोक्त भूमि रेस्पोडेट सख्या 01 के म्यूटेशन सख्या 233 को दर्ज कर अपीलाण्टगण को अपने हको से महरूम कर दिया गया जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गई जिसके आधार में बताया गया कि अधिनस्त न्यायालय का आदेश विधि विरूद्व एवम वाक्याती मिसल के विरूद्व होने से काबिल ए खारिज के है अपीलाण्ट द्वारा अपील के आधार के पद सख्या 02 में खेराजराम उर्फ खिवराज का वंशावली वंशवृक्ष दर्शाया गया। जिसमें खेराजराम के एक पुत्र परमानन्द व दो पुत्रीयॉ अपीलाण्ट सख्या 01 व अपीलाण्ट सख्या 02 व 03 की माता कसुम्बी होना बताया। रेस्पोडेट सख्या 01 के दादा परमानन्द एवम उक्त म्यूटेशन भी इस अनुसार स्वीकृत करना कानूनी रूप से आवश्क था क्योकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 08 के तहत अपीलाण्ट प्रथम श्रेणी के वारिसान थे एवम अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में खेराज पिता उदा के स्थान पर फौतेदगी का म्यूटेशन मीरा पुत्री खेराजराम कसुम्बी पुत्री खेराजराम परमानन्द पुत्र श्री खेराजराम दर्ज करना चाहिए था परन्तु अधिनस्त न्यायालय ने अपीलाण्ट सख्या 01 मीरा का नाम दर्ज नही किया इसी प्रकार से अपीलाण्ट सख्या 02 व 03 की स्वर्गीय माता कसुम्बी दर्ज नही किया एवम अकेले रेस्पोडेट सख्या 01 के दादा परमानन्द का नाम दर्ज किया गया। तत्पश्चात नामान्तरकरण सख्या 233 स्व परमानन्द से रेस्पोडेट सख्या 01 अकेले के नाम से दर्ज किया गया । इस कारण से उक्त म्यूटेशन अपीलाण्ट के विरूद्व शुन्य आदेश है एवम काबिल ए निरस्त के है अधिनस्त न्यायालय ग्राम पंचायत बेरडो का बास द्वारा उपरोक्त म्यूटेशन स्वीकृत करते वक्त न तो अपीलाण्ट को नोटिस दिया गया और न ही स्व श्री खेराज के वरिसानो की जॉच की गई एवम न ही परमानन्द पुत्र खेराज के वारिसानो की जॉच की गई एवम अपीलाण्ट से बाले बाले रेस्पोडेट सख्या 01 के दादा परमानन्द पुत्र श्री खेराज के नाम से उक्त म्यूटेशन सख्या 631 स्वीकृत कर दिया गया । अपीलाण्ट को स्वर्गीय पिता श्री खेराजराम की सम्पति के हको से महरूम कर अधिनस्त न्यायायल ने भारी कानूनी भूल की है उक्त म्यूटेशन में भूमि अपीलाण्ट सख्या 01 के पिता व अपीलाण्ट सख्या 02 व 03 के नाना स्व खेराज की खातदोरी से अकेले रेस्पोडेट सख्या 01 के पिता परमानन्द पुत्र खेराज के नाम दर्ज कर दी गई तत्पश्चात उपरोक्त म्यूटेशन के जरिये अकेले रेस्पोडेट सख्या 01 के नाम दर्ज कर दी गई जबकि उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट सख्या 01 व अपीलाण्ट सख्या 02 व 02 का रस्पोडेट सख्या 1 के बराबर बराबर हकदार है उक्त म्यूटेशन में स्व खेराज के वारिसान अपीलाण्ट सख्या 01 से 03 व

Scanned with CamScanner

रेस्पोडेट सख्या 01 के नाम दर्ज करना चाहिए था जो नही किया गया तथा ग्राम पंचायत द्वारा उक्त म्यूटेशन दर्ज करते वक्त न तो अपीलाण्टगण को नोटिस दिया व न ही परमानन्द व भैराराम कब फौत हुए उनकी जॉच की न ही उक्त भूम परमानन्द अकेले को कैसे प्राप्त हुई उसकी जॉच की अपीलाण्टगण की पैत्रक कृषि भूमि का म्यूटेशन रेस्पोडेट सख्या 01 के नाम अपीलाण्ट से बाले बाले स्वीकर दिया गया । उक्त सारी कार्यवाही अपीलाण्ट से बाले बाले की गई है अपीलाण्टगण को सर्वप्रथम जानकारी दिनॉक 02.08.2016 को गॉव में हल्का पटवारी से हुई एवम उक्त म्यूटेशन की नकल दिनॉक 02.08.2016 को लेने पर हुई सम्पूर्ण जानकारी हुई जानकारी तिथि से अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत है धारा 05 म्याद अधिनियम का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं अन्त में अपीलाण्टगण की ओर से ईस्तदुआ चाही कि अपीलाधीन नामान्तकरण सख्या 233 निरस्त किया जाकर उक्त नामान्तरकरण में दर्ज भूमि खेराजराम पुत्र उदा की फौतेदगी मे वारिसान के तौर पर दर्ज भूमि परमानन्द पुत्र श्री खेराजराम से मोहिनी पुत्री भैराराम के स्थान पर अपीलाण्ट सख्या 01 व अपीलाण्ट सख्या 02 व 03 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने की प्रार्थना की।

अपीलाण्टगण की ओर से अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धार 05 परिसीमा अधिनियम का पेश किया तथा प्रार्थना पत्र में तथ्य अंकित किए कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की कोई जानकारी अपीलाण्टगण को नही थी हल्का पटवारी से दिनॉक 02.08.2016 को अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई । इसलिए अपील को अन्दर म्याद सुमार करने की प्रार्थना की गई

अपीलाण्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर रेस्पोडेट सख्या 01 की ओर से वकालातनामा पेश किया गया व जबाब हेतु अवसर चाहा गया । जिस पर समुचित अवसर दिए जाने के बावजूद भी जबाब पेश नही किया गया तो रेस्पोडेट सख्या 01 का जबाब का अवसर बन्द किया गया तथा अधिनस्त न्यायलय का रेकर्ड की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत है अत उक्त म्यूटेशन के रेकर्ड की कोई आवश्यकता नही होने से बहस पक्षकार सुनी गई

अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि अधिनस्त न्यायायल द्वारा स्व श्री खेराज के वरिसानो की सही जॉच नही कर बाले बाले अपीलाण्ट को खातेदारी अधिकारो से महरूम करने के आशय से अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो निरस्त किया जाकर तहसीलदार ओसियॉ

Scanned with CamScanner

को रिमाण्ड किया जावे कि स्व श्री खेराज के वारिसानो की सही जॉच कर पुन म्यूटेशन पारित किया जावे। चूँकि धारा 05 परिसीमा अधिनियम का कोई जबाब रेस्पोडेट की ओर से पेश नही किया गया है इसलिए अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र को हुबहु पढा जावे।

रस्पोडेट की ओर से दौराने बहस बताया गया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करते समय अपीलाण्टगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नही था वादर्गस्त भूमि पर कब्जा केवल मात्र रेस्पोडेट सख्या 01 के पूर्वज परमानन्द का था तथा तात्कालिक विधिक के अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण सही स्वीकार किया गया है जिसे किसी भी आधार पर निरस्त करवाने के अधिकारी नही है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट स्व श्री खेराज के वारिसान है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण के जरिये अपीलाण्टगण को खातेदारी अधिकारो से महरूम किया गया है इसलिए अपील को अन्दर म्याद सुमार किया जाता है अपीलाधीन नामान्तरकरण सख्या 233 ग्राम पंचायत बेरडो का बास को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अत अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण सख्या 233 ग्रम बेरडो का बास को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्त न्यायालय तहसीलदार ओसियॉ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलाण्टगण तथा रेस्पोडेट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज भूमि की मौके पर कब्जे की वास्तविक जॉच कर पुन नामान्तरकरण की कार्यवाही करावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार ओसियॉ को पत्र जारी हो।

सहायक कलेक्टर ओसियॉ)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

आदेश आज दिनॉक 7/12/2020 को हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर ओसियॉ)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

Scanned with CamScanner